संख्या: 240 /XXIV-3/11/02(52/2009

(16)

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
देहरादून, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून: दिनॉक 18 मार्च, 2011

विषय:– माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों हेतु माह फरवरी, 2011 के वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: अर्थ–1/85409/5(क)/01(02)2010–11/ दिनॉक: 07 फरवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के माह फरवरी, 2011 के वेतन भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या: 11 के अधीन ₹ 310000.00 हजार (₹ इक्तीस करोड़ मात्र) की धनराशि को नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के क्रियान्यवन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा:–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी भी ऐसी मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(5) व्यय करते समय वित्तीय संग्रहण खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम),वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्रमश: 2

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 00–आयोजनागत, 03–बालक एवं बालिका में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्रों में उल्लेखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा उक्त के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 1125(P)/XXVII(3)10-11, दिनॉकः 16 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्याः 240(1) /XXIV-3/11/02(52/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव–मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव–सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड सचिवालय।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– अनुभाग अधिकारी, शिक्षा अनुभाग–1, 2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव

नियत्रंक अधिकारी–सचिव, विद्यालयी शिक्षा
वित्तीय वर्ष 2010–11

प्रपत्र बी0एम0–15
(पैरा–156)
अनुक्रम संख्या–11

प्रशासकीय विभाग–माध्यमिक शिक्षा
आयोजनेत्तर
धनराशि हजार रू0 में

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202–सामान्य शिक्षा				2202–सामान्य शिक्षा			वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवश्यकता से कम धनराशि प्राविधानित होने के कारण इस योजना से माह फरवरी, 2011 का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन के अन्तर्गत नान–प्लान में धनराशि प्राविधानित होने के कारण व्यय नहीं हो पायेगा। अतः निदानित मासिक वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
01–प्रारम्भिक शिक्षा				02–माध्यमिक शिक्षा			
800–अन्य व्यय				109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें							
0105–13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन				03–बालक एवं बालिका			
42–अन्य व्यय				01 वेतन 183020	6520728		
310000	0	0	310000	03 महंगाई भत्ता 120000	2347475	– 0	
–				06 अन्य भत्ता 6980	679040	–	
सम्पूर्ण योग 310000	0	0	310000	सम्पूर्ण योग 310000	9547243	– 0	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्युवल के परिच्छेद 150,151,155,156 का उलघंन नहीं होता है।

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-3

संख्या: 1125 (P) /वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2011

देहरादून, दिनांक: 16 मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(पी०एस० जंगपांगी)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 240(1)/XXIV-3/11/02(52)/2009, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी०पी०तिवारी)
अनु सचिव।